

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/175
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00161
CICOM/R/2018/00536

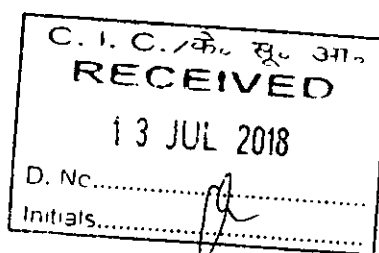
दिनांक: 12.07.2018

अपीलकर्ता : सुश्री अनीता छाबड़ा,
मकान नं. 19 (टाईप-3),
सैक्टर - 1, सादिक नगर,
नई दिल्ली - 110049.

निर्णय की तारीख: 12.07.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	21.05.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	31.05.2018, 13.06.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	05.07.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	320/06.07.2018 (407/05.07.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 21.05.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश सं. CIC/PAROI/A/2017/132152 एवं CIC/MOPAF/C/2017/139601 से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 31.05.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/00536 के माध्यम से आंशिक सूचना प्रदान की गई तथा शेष सूचना प्रदान करने हेतु सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत दो सौ सोलह रु० अतिरिक्त शुल्क की मांग की गई तथा अपीलकर्ता द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा करवाने के पश्चात श्री एस. सी. शर्मा द्वारा दिनांक 13.06.2018 को वांछित सूचना प्रदान कर दी गई। श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता द्वारा दाखिल आर.टी.आई. आवेदन एवं जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अतिरिक्त अन्य बातों का भी उल्लेख किया गया है जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।